

भारत-पाक के बीच परमाणु और कैदी सूचियों का आदान-प्रदान

स्रोत: हदुस्तान टाइम्स

हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के बावजूद परमाणु प्रतष्ठिठानों की सूचियों का आदान-प्रदान किया तथा कैदियों और मछुआरों का वविरण साझा किया।

- कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान वर्ष 2008 के कांसुलरी एक्सेस समझौते के तहत अनविर्य है, जो प्रत्येक दो वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को होता है।
- परमाणु प्रतष्ठिठानों की सूचियों का आदान-प्रदान परमाणु प्रतष्ठिठानों पर हमले के प्रतष्ठिध समझौते, 1988 के तहत हुआ।
 - यह लगातार 34वाँ आदान-प्रदान था, पहला आदान-प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था।
 - 31 दसिंबर, 1988 को हस्ताक्षरति तथा 27 जनवरी 1991 से प्रभावी इस समझौते के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को प्रतविर्ष 1 जनवरी को परमाणु स्थापना के वविरण का आदान-प्रदान करना आवश्यक है।
 - हालाँकि दोनों में से किसी भी देश ने परमाणु प्रतष्ठिठानों का वविरण नहीं बताया है।
- कांसुलर संबंधों पर वयिना कन्वेंशन, 1963 के अनुच्छेद 36 में यह अनविर्य किया गया है कि गरिफ्तार या हरिसत में लयि गए वदिशी नागरकों को उनके दूतावास या वाणज्य दूतावास को अधसूचति करने के उनके अधिकार के बारे में शीघ्र सूचति किया जाना चाहयि।

और पढ़ें...

कांसुलर एक्सेस: कुलभूषण जाधव मामला

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/indo-pak-exchange-of-nuclear-and-prisoner-lists>